उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.,
(U.P. Government Undertaking)
Shakti Bhawan/ Shakti Bhawan Extn.,
14-Ashok Marg, Lucknow – 226 001

संख्याः 85/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2015–45–मा0सं0(04)/2008(टी0सी0) दिनॉकः 12 जनवरी, 2015

कार्यालय ज्ञाप

स्वेच्छा/आकस्मिकता में उत्तर प्रदेश से बाहर एवं प्रदेश के अन्दर गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में भर्ती होकर करायी गई चिकित्सा/उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 195–औ0स0/2014–11(4) एफ/86(टी0सी0–2010) दिनांक 25.01.2014 में निहित सी0जी0एच0एस0 की दरों को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों एवं पारिवारिक पेंशनरो की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु अंगीकृत किया जाता है।

2– उपरोक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित आदेशों के अंगीकरण के फलस्वरूप निगम के आदेश सं0 1010/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2013 दिनांक 27.05.2013 को संशोधित कर कार्यालय ज्ञाप संख्या– 641/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2009–45–मा0सं0(04)/2008 दिनांक 24 अप्रैल, 2009 द्वारा प्रख्यापित चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर–14(स) एवं 15 (क से य) को निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः–

वर्तमान नियमावली	संशोधित नियमावली
बिन्दु (14–स) "स्वेच्छा/आकस्मिकता में प्रदेश के बाहर गैर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में भर्ती रहकर इलाज कराने पर चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का दावा निगम द्वारा प्रदत्त C.G.H.S. की दरों का 70 प्रतिशत ही देय होगा। यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा"।	बिन्दु (14–स) "स्वेच्छा/आकस्मिकता में प्रदेश के बाहर गैर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में भर्ती रहकर इलाज कराने पर चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का दावा निगम द्वारा प्रदत्त C.G.H.S. की दरों का शत–प्रतिशत देय होगा। यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा"।
बिन्दु 15 (क से य) "आकस्मिकता में इलाज कराने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध मेंः– यह आदेश उन प्रकरणों से सम्बन्धित है, जिसमें मरीज़ को जीवन रक्षा के लिए प्रदेश के अन्दर निकटस्थ अस्पताल या ऐसे मेडिकल सेन्टर में भर्ती कराया गया हो जहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं हों और जो ख्याति प्राप्त हो । यह आदेश निम्न प्रकरणों में लागू होगा :– (क) हार्ट अटैक (ख) ब्रेन हैमरेज (ग) गंभीर दुर्घटना जिसमें हेड इन्जरी या रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ हो। (घ) ऐसी दुर्घटना जिसमें इलाज किसी अंग को काटने या बचाने के लिए किया गया हो। (य) ऐसी गंभीर प्रकरण जो तकनीकी जाँच के उपरान्त यह स्थापित करते हैं कि चिकित्सा जान बचाने के लिए आकस्मिकता में कराई गई। (परियोजना के उप मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रभारी) की संस्तुति पर)।	बिन्दु 15 (क से य) "आकस्मिकता में इलाज कराने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध मेंः– यह आदेश उन प्रकरणों से सम्बन्धित है, जिसमें मरीज़ को जीवन रक्षा के लिए प्रदेश के अन्दर निकटस्थ अस्पताल या ऐसे मेडिकल सेन्टर में भर्ती कराया गया हो जहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं हों और जो ख्याति प्राप्त हो । यह आदेश निम्न प्रकरणों में लागू होगा :– (क) हार्ट अटैक (ख) ब्रेन हैमरेज (ग) गंभीर दुर्घटना जिसमें हेड इन्ज़री या रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ हो। (घ) ऐसी दुर्घटना जिसमें इलाज किसी अंग को काटने या बचाने के लिए किया गया हो। (य) ऐसी गंभीर प्रकरण जो तकनीकी जाँच के उपरान्त यह स्थापित करते हैं कि चिकित्सा जान बचाने के लिए आकस्मिकता में कराई गई। (परियोजना के उप मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रभारी) की संस्तुति पर)।

उपरोक्त श्रेणी में ऐसे कोई प्रकरण नही आते जिनका इलाज PLANNED तरीके से कराया गया या COLD SURGERY कराई गई। ऐसी स्थिति में यदि इलाज प्रदेश के अन्दर गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल में कराया गया है तो चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का दावा, निगम द्वारा प्रदत्त C.G.H.S. की दरों का 70 प्रतिशत ही देय होगा। ऐसे दावों का परीक्षण मुख्यालय स्तर पर होगा और प्रतिपूर्ति के अधिकार निगमादेश सं0 641/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2009-45-मा0सं0(04)/2008 दि0 24.04.2009 के प्रस्तर 16 के बिन्दु संख्या 5,6 तथा 7 के वित्तीय अधिकार में निहित होगें। कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा"।	उपरोक्त श्रेणी में ऐसे कोई प्रकरण नही आते जिनका इलाज PLANNED तरीके से कराया गया या COLD SURGERY कराई गई। ऐसी स्थिति में यदि इलाज प्रदेश के अन्दर गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल में कराया गया है तो चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का दावा, निगम द्वारा प्रदत्त C.G.H.S. की दरों का शत-प्रतिशत देय होगा। ऐसे दावों का परीक्षण मुख्यालय स्तर पर होगा और प्रतिपूर्ति के अधिकार निगमादेश सं0 641/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2009-45-मा0सं0(04)/2008 दिनांक: 24.04.2009 के प्रस्तर 16 के बिन्दु संख्या 5,6 तथा 7 के वित्तीय अधिकार में निहित होगें। कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा"।

उक्त संदर्भित चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमावली-2008 के अन्य समस्त प्राविधान/प्रस्तर यथावत रहेंगे।

3- उपरोक्त आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी रहेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 85 (1) मा0सं0 (04)/उ0नि0लि0/2015 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
5. मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/ पनकी(कानपुर)।
6. कार्यकारी महाप्रबन्धक (मा0सं0)/मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, वित्त/लेखा/पी0पी0एम0एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ वाणिज्य/ जानपद, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मंडल की 162वीं बैठक जो दिनांकः 19.12.14 को सम्पन्न हुई, के एजेण्डा आइटम संख्या-16 के सन्दर्भ में ।
8. सलाहकार (तकनीकी)/(चिकित्सा)/(औधोगिक सम्बन्ध)/(वित्त), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
9. मुख्य परियोजना प्रबंधक, (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
10. उप महाप्रबन्धक/अधी0अभि0 (मा0सं0-01/02/03/04/05/06)/(रिफार्म/टाण्डा वाइंडिग एवं संसदीय कार्य)/(प्रशिक्षण)/तापीय परिचालन/जानपद, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
11. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
12. मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/हरदुआगंज(अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
14. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
15. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सक्सेना) 9/1/15

अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0-04)